कराए शैड नं. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 33, 35, 50, 51, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73 का आधा भाग और 103 आदि को अन्य पार्टियों को बेच दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और गल्ती करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई करने का विचार रखता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Location of the Statue of Mahatma Gandhi

3213. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up a Committee under the Chairmanship of Urban Development Minister to formulate the concept for the development of the Udyan and location of the statue of Mahatma Gandhi;

(b) if so, by when the Committee is likely to submit its report; and

(c) what will be the cost of the statue and the material with which it is supposed to be built ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) A Concept Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Urban Development has been set up to formulate the concept for the development of the Udyan and location of the statue of Mahatma Gandhi. The Concept Committee has finalised the parameters of the Concept for holding competition for selection of design and thereafter the same has also been approved by the Ministry of Urban Development. No report in this regard is to be submitted by the Committee.

(c) Statue in bronze has already been cast. Cost of the Statue with material including cost of pedestal will be Rs. 22 lakhs approximately.

हरियाणा के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3214. **श्री रामजी लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हरियाणा राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इसके जिलों का अतिरिक्त विकास करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के लिए तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अंतर्गत कुल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भागीदार राज्यों अर्थात् हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा इस क्षेत्र के बाहर चुनींदा सम्सुविधा (काउंटर मेगनेट) सम्पन्न नगरों को सहायता देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा ।

2. 1993-94 के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है ।